दां.प्रकी.(जमा.) 4285/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रमेश पुरोहित,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में 70 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी अभियुक्त के पास से होना बताई गई है जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। गवाहो के बयान हो चुके हैं, अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है वह फरार नहीं होगा न ही अपराध की पुनरावृत्ति करेगा, अत: उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अभियुक्त से तफ्तीश हो चुकी है। अभियुक्त से जो बरामदगी हुई है वह वाणिज्यिक मात्रा से कम है। इस प्रकार धारा 37 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी हेमेन्द्र कुमार पुत्र मोतीलाल योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का

बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा